

बनाम

—प्रार्थीगण

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मंनिया जिला धौलपुर

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र धारा 136 राज0 भू0राजस्व अधिनियम

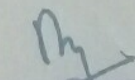
सुपस्थिति—श्री हरवीरसिंह एडवोकेट—प्रार्थीया की ओर से
पैरोकार सरकार अप्रार्थी की ओर से



निर्णय

दिनांक—20.10.2023

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज0 भू0राजस्व अधिनियम इस आशय का पेश किया कि खसरा नम्बर 2787 रकबा 0.5437 हैक्टेयर, 2793 रकबा 0.4932 हैक्टेयर बाके ग्राम शाहपुरा तहसील मंनिया जिला धौलपुर विवादित है। वर्तमान खसरा नम्बर 2787 रकबा 0.5437 हैक्टेयर साविक खसरा नम्बर 1741 मिन एवं खसरा नम्बर 2793 रकबा 0.4932 हैक्टेयर साविक खसरा नम्बर 1740 मिन एवं 1741 मिन बाके ग्राम शाहपुरा तहसील मंनिया से बने है। साविक खसरा नम्बर 1740/1 रकबा 2 बीघा 1741 रकबा 2 बीघा 6 विस्वा ग्राम शाहपुरा के खातेदार काश्तकार मु0 रामरती वेवा तेजसिंह व रघुवर वल्द जंगजीत जाति ठाकुर व हिंस्सा 1/2 व जनकसिंह व माखनसिंह पुत्रगण गंजाधर जाति ठाकुर साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड थे। राजस्व रेकार्ड में रामरती व रघुवर का 1/2 भाग दर्ज था वास्तव में उनका विवादित आराजी पर ना तो कब्जा था ना ही वो विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार थे जब पंचा बन्दोवस्त जारी हुआ तो उसमें मु0 रामरती वेवा तेजसिंह व


उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

रघुवर वल्द जगंजीत कौम बाढई हिस्सा 1/2 जनकसिंह व माखनसिंह पुत्र गजाधर हिस्सा 1/2 कौम ठाकुर साकिन देह गैरखातेदार दर्ज हो गया जो गलत था सम्पूर्ण आराजी पर प्रार्थीगण के पूर्व पुरुष जनकसिंह, माखनसिंह पिसरान गजाधर जाति ठाकुर साकिन देह खातेदार दर्ज होना चाहिये था। जब जनकसिंह व माखनसिंह को पर्चा बन्दोवस्त की जानकारी हुई तो उन्होंने एक प्रार्थना पत्र सहायक भू अभिलेख अधिकारी धौलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया कि ग्राम शाहपुरा के खाता संख्या 233 में हाल खसरा नम्बर 2787 रकबा 2 बीघा 3 विस्वा 2793 रकबा 1 बीघा 19 विस्वा बाके ग्राम शाहपुरा पर मु0 रामरती वेवा तेजसिंह व रघुवर वल्द जगंजीत कौम बाढई का नाम 1/2 हिस्सा पर दर्ज है वह गलत है इसलिये उक्त खेत व प्रार्थी जनकसिंह व माखनसिंह पिसरान गजाधर का ही नाम खाते में दर्ज किया जावे। दिनांक 31.01.1973 को सहायक भू अभिलेख अधिकारी धौलपुर ने निर्णय करते हुये मु0 रामरती व रघुवर के नाम को निरस्त कर दिया लेकिन आराजी पर प्रार्थीगण के पूर्व पुरुष जनकसिंह व माखनसिंह को गैरखातेदार दर्ज कर दिया जो गलत हैं पूर्व के इन्द्राजात खातेदार के थे उन्हें बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के इन्द्राजात बदलने का बन्दोवस्त विभाग को अधिकार नहीं है। बन्दोवस्त विभाग सहायक भू अभिलेख अधिकारी को पूर्व के इन्द्राजात के अनुसार प्रार्थीगण के पूर्व पुरुष जनकसिंह एवं माखनसिंह को खातेदार काश्तकार दर्ज करना चाहिये था जो उन्होंने नहीं किया इस प्रकार बन्दोवस्त विभाग ने अधिकार विहीन कार्य करने की गलती की है। प्रार्थीगण अपने पिता जनसिंह व माखनसिंह के देहान्त के बाद वहैसियत खातेदार काश्तकार मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण का विरासत का नामान्तकरण हो चुका हैं प्रार्थीगण जमाबन्दी में बतौर गैरखातेदार का इन्द्राज है जिसे दुरुस्त करा कर प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार का इन्द्राज कराने के अधिकारी है। प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 2787 रकबा 0.5437 हैक्टेयर 2793 रकबा 0.4932 हैक्टेयर बाके ग्राम शाहपुरा तहसील मनिया जिला धौलपुर की राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती की जाकर गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार का इन्द्राज किये जाने के आदेश किया जाने का निवेदन किया।

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी सम्वत 2020-2023, आदेशिका दिनांक 31.1.73 भूप्रबन्ध विभाग, वयान प्रतिलिपि रामरती, प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र जनकसिंह, माखनसिंह, प्रतिलिपि वयान रघुवरसिंह, आदेशिका दिनांक 17.8.21 प्र0सं0 55/2017 नकल जमाबन्दी सम्वत 2023 पेश किये गये।

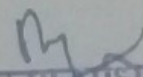
प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत जबाब प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुये विशेष कथन में अंकित किया कि आराजी खसरा नम्बर 2787 व 2793 वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीगण अचलसिंह बगैरा गैरखातेदार दर्ज हैं जबकि गत रिकार्ड

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

जमाबन्दी सं० 2020 से 2023 में प्रार्थीगणों के पिता माखनसिंह व जनकसिंह खातेदार दर्ज है। उन्होंने प्रार्थीगणों को गैरखातेदार के बजाय खातेदार अंकित किया जाना उचित बताया गया।

बहस उभयपक्षकार सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपने तर्कों में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का दुहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी बन्दोवस्त से पूर्व प्रार्थीगण के पूर्व पुरुष जनसिंह पुत्र गजाधर हिस्सा 1/2 तथा रघुवर व रामरती हिस्सा 1/2 की खातेदारी में दर्ज रेकार्ड थी रेकार्ड में रघुवर व रामरती का नाम गलत दर्ज होने के कारण बन्दोवस्त कार्यवाही आदेश दिनांक 31.01.1973 रामरती व रघुवर का नाम निरस्त कर दिया था तथा प्रार्थीगण के पूर्व पुरुष का नाम दर्ज रखा गया लेकिन उन्हें खातेदार के स्थान पर गैरखातेदार दर्ज कर दिया जबकि बन्दोवस्त से पूर्व वह खातेदार दर्ज थे और बन्दोवस्त विभाग को गैरखातेदार का अंकन करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। वर्तमान में विवादित आराजी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है किन्तु वह गैरखातेदार के रूप में दर्ज है। उन्होंने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्व रेकार्ड की शुद्धि कर उन्हें गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज करने के आदेश दिये जाने का निवेदन किया। प्रार्थीगण की बहस पर पैरोकार सरकार द्वारा कोई आपत्ति नहीं की।

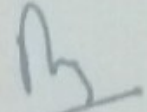
बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र के मर्मर्थन में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सम्वत 2020-23 के अनुसार साविक खसरा नम्बर 1740/1 व 1741 रामरती व रघुवर हिस्सा 1/2 जनसिंह हिस्सा 1/2 की खातेदारी में अंकित है, प्रस्तुत नकल आदेशिका दिनांक 31.01.1973 बन्दोवस्त विभाग के अनुसार हाल खसरा नम्बर 2787 व 2793 पर रामरती व रघुवर का इन्द्राज निरस्त करते हुए शेष के नाम का इन्द्राज बदस्तूर रखा गया। प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2033 के अनुसार विवादित हाल खसरा नम्बरो को गैरखातेदारी में दर्ज रखा गया। प्रकरण में तहसीलदार अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत पटवारी हल्का मौका रिपोर्ट के अनुसार विवादित हाल खसरा नम्बरान प्रार्थीगण अपने हिस्सों के अनुसार अंकित है जो उनकी बन्दोवस्ती गैरखातेदारी में दर्ज तथा मौके पर विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा है। इस प्रकार प्रकरण में प्रस्तुत रेकार्ड से यह स्पष्ट होता है कि विवादित आराजी बन्दोवस्त से पूर्व राजस्व रेकार्ड में खातेदारी में अंकित थी जिसे बन्दोवस्त के दौरान गैरखातेदारी में दर्ज कर दिया गया जबकि बन्दोवस्त का विवादित आराजी खातेदारी से गैरखातेदारी में दर्ज करने का अधिकार प्राप्त नहीं था। इस प्रकार की अशुद्धि को राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के प्रावधानों के अनुसार शुद्ध किया जा सकता है। अतः हम प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।


उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज०)



अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है तथा आराजी खसरा नम्बर हाल 2787 रकबा 0.5437 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 2793 रकबा 0.4932 हैक्टेयर स्थित ग्राम शाहपुरा तहसील मंनिया जिला धौलपुर पर प्रार्थीगण को गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज कर राजस्व रेकार्ड में शुद्धि किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार दुरुस्ती किये जाने हेतु तहसीलदार मंनिया को आदेश जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 20.10.23 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(मनीष कुमार बघाट)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज०)
धौलपुर